न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/24/2021 रजि0 नं0 2021/18

प्रवेश तिथि 08.02.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री जयपाल पुत्र भरतलाल जाट, निवासी–ग्राम व पोस्ट–बघाना, तहसील–कोटकासिम, जिला–अलवर (राज.)–301702		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.03.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 25.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को खाद्य सुरक्षा (NFSA) अन्तर्गत राशनकार्ड नंबर उल्लेखित करते हुए उनके आवेदन–पत्र, खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात् संबंधी कुल 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 28.01.21 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु उनकी ओर से पत्रांकः 31 दिनांकः 19.02.2021 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 25.11.20 के क्रम में पत्र सं. 2127 दिनांकः 29.12.20 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय से अवगत कराया जा चुका है जिसके अनुसार आवेदन में वांछित सूचना विस्तृत होने व तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के आलोक में आवेदन अस्वीकार कर सूचित किया गया है एवं सूचना प्राप्तकर्ता/आवेदके के पास राशनकार्ड नंबर होने की स्थिति में वांछित सूचना ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया है।

9/3

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

7. अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय दिनांकः 29.12.20 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रत्यर्थी को जारी नोटिस के क्रम में प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा पत्रांकः 31 दिनांकः 19.02.2021 के माध्यम से प्रथम आवेदन दिनांकः 25.11.20 में वांछित सूचना के क्रम में बिन्दुवार जवाब न्यायालय को प्रस्तुत किया गया, साथ ही वांछित सूचना के क्रम में तहसीलदार कोटकासिम व विकास अधिकारी, पं.स. कोटकासिम से राशनकार्डों की जॉच कराई जाकर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

8. अतः अपील खारिज करना समीचीन है।

9. अस्तु अपील खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पत्र सं. 31 दिनांकः 19.02.2021 मय दस्तावेजात् छायाप्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

10. आज दिनांकः 09.03.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

9/3/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)